

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत लाखागुडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत लाखागुडा

प्रकरण सं. - 08/2010 रेवा

निर्णय दिनांक - 12.06.2015

अनवान

1. श्री मोतीसिंह पिता देवीसिंह जाति रावत निवासी लाखागुडा तहसील भीम
2. श्री भंवरसिंह पिता देवीसिंह जाति रावत निवासी लाखागुडा तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री मांगुसिंह पिता भूरसिंह जाति रावत निवासी लाखागुडा तहसील भीम
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

प्रतिवादीगण

वाद -पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 88 आर.टी.ए.

वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य मौजा लाखागुडा पटवार हल्का लाखागुडा, तहसील भीम में निम्न प्रकार खराजियात आई हुई है। तहसीलदार भीम द्वारा प्रारम्भिक डिगरी की पालना प्राप्त होने से वादी एवं प्रतिवादी गणों में निम्न प्रकार खाते दर्ज किये जाते हैं:-

1. श्री मोतीसिंह, भंवरसिंह पिता देवीसिंह निवासी लाखागुडा के नाम निम्न खाते हैं:-

खसरा नम्बर	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वासी	
2116 मीन	01	09	00	बंझड
कुल किता 1 रकबा 01 बीघा 09 विस्वा				

2. श्री मांगुसिंह पिता भूरसिंह निवासी लाखागुडा के निम्न खाते हैं:-

खसरा नम्बर	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वासी	
2116/1	01	09	00	बंझड
कुल किता 1 रकबा 01 बीघा 09 विस्वा				

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भीम राजस्व लिफ्ट में तदनुसार अमल दरामद करे। तदनुसार अन्तिम डिगरी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द